



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6432

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19309 वर्ष 2025

मूल चंद

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सतीश मोहन तिवारी, विक्रम सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., कुलदीप कुमार

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश मोहन तिवारी और प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.पी. सिंह, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप चौहान कर रहे थे, की दलीलें सुनीं।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं हो सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(V) के अंतर्गत मूल आवेदन दाखिल करते समय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है। वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ: एआईआर 1997 सर्वोच्च न्यायालय 1125** के निर्णय पर भरोसा करना चाहते हैं।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश मोहन तिवारी उक्त कानूनी स्थिति पर विवाद नहीं कर सके, हालांकि, उनके अनुसार न्यायाधिकरण को निर्देश जारी किया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय ले।
4. तदनुसार, हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया जाता है, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे याचिकाकर्ता को मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधिकरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19(V) के तहत निहित प्रावधानों का सहारा लेने की छूट मिलती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.